झारखण्ड शिक्षा परियोजना, साहेबगंज

म०वि० पुलिस लाईन परिसर, साहेबगंज – 816109

दूरभाष संख्या – 06436 - 225824 फैक्स सं० – 06436 - 222775

कार्यालय आदेश

जिले में कार्यरत कई पारा शिक्षक दिनांक 15.11.2018 अथवा बाद की तिथि से अनाधिकृत रूप से अपने–अपने विद्यालय से अनुपस्थित है। इसके फलस्वरूप पठन–पाठन के साथ–साथ मध्याह्न भोजन योजना एवं शैक्षणिक अभिवर्द्धन हेतु प्रारंभ महात्वाकांक्षी योजना, ज्ञानसेतु, ई–विद्यावाहिणी आदि प्रभावित हो रही है। राज्य स्तर से निराकरण हेतु विगत में पारा शिक्षकों के साथ हुई सहमति के सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई की गयी है एवं समाचार पत्रों सूचना का प्रकाशन किया गया है तथापि स्थिति यथावत है। यह भी सूचना मिल रही है कि जो पारा शिक्षक विद्यालय लौटना चाहते है, उन्हें भी प्रभावित किया जा रहा है, आदि।

राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक JEPC / 1897 दिनांक 22.11.2018, पत्रांक JEPC 1896 दिनांक 22.11.2018, पत्रांक JEPC 1855 दिनांक 16.11.2018 एवं अन्य में अंकित निदेश के अनुपालन में जिसकी ससमय सूचना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पारा शिक्षकों को भी दी गई है, निम्न निदेश दिये जाते है–

1. न्यायिक हिरासत में लिए गये प्राथमिकी अभियुक्त के स्थान पर उनका अनुबंध समाप्त करते हुए संबंधित विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा झारखंड राज्य टेट उत्तीर्ण अनियोजित अभ्यर्थियों से संतुल्य संख्या में पारा शिक्षकों का चयन, राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 1253 दिनांक 25.06.2012 में निहित विहित प्रक्रिया अनुसार सुनिश्चित किया जाय।
2. ऐसे पारा शिक्षक जो किसी दबाव में विद्यालय से अनुपस्थित है को समुचित सुरक्षा दिये जाने तथा दबाव कायम करने वाले समूह / व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी तथा जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना दिया जाय ताकि संबंधित पारा शिक्षक सहज रूप से पठन पाठन कर सके।
3. ऐसे पारा शिक्षक जो पठन पाठन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे है अथवा राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे है, को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध भी कंडिका 1 में वर्णित श्रेणी के अनुरूप समतुल्य कार्रवाई किया जाय।
4. ऐसे पारा शिक्षक जो जानबुझ कर अपने–अपने विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है उन्हें विद्यालय से अनुपस्थित मानते हुए उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया जाय तथा 30 दिन लगातार अनुपस्ति की अवधि अथवा राज्य स्तर से निर्धारित / निर्दिष्ट ऐसी अवधि पूर्ण होते ही उनका भी अनुबंध समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध भी कंडिका 01 में वर्णित श्रेणी के अनुरूप समतुल्य करर्वाई किया जाय। इस हेतु संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कारण पृच्छा एवं द्वितीय कारण पृच्छा पूर्व में ही करना सुनिश्चित करेंगे।
5. पारा शिक्षकों की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में संबंधित विद्यालय प्रबंध समित वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अपने क्षेत्र में अनियोजित टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात यथा–मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि), इन्टरमीडिएट का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, प्रशिक्षण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (जैक द्वारा निर्गत) तथा अन्य आवश्यक कागजात यथा आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता की विवरणी आदि प्राप्त कर बैठक में Guest Teacher के रूप में उनसे कार्य लिये जाने हेतु रखेंगे। ऐसे कार्य लिये जाने हेतु चिन्हित शिक्षक अभ्यर्थियों को रू0 200/– प्रतिदिन (वर्ग 01–05 के लिए) एवं रू0 250/–प्रतिदिन (वर्ग 06–08 के लिए) की दर से पारा शिक्षक मानदेय मद अन्तर्गत स्वीकृत राशि से नियमानुसार प्रबंध समिति द्वारा भुगतान किया जाय।
6. प्रत्येक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रखंड साधन सेवी / संकुल साधन सेवी अपने–अपने अधिनस्थ विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति से संपर्क कर यथाशीघ्र 01 अथवा 02 गेस्ट टीचर की सेवाएँ प्राप्त कराते हुए पठन–पाठन प्रारंभ करायेंगे। यदि इसमें संबंधित पारा शिक्षकों द्वारा बाधा डाली जाती है तो गोपनीय ढंग से इसकी सूचना स्थानीय थाना को देंगे, ताकि उनके विरूद्ध प्राथमिकी एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सके।
7. राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक JEPC/1830 दिनांक 12.11.18 द्वारा यह निदेश है कि दिनांक 01.12.18 से सभी पारा शिक्षकों का बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। अतः उक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. सरकारी शिक्षकों का प्रतिनियोजन यदि पारा शिक्षकों से संचालित विद्यालयों में किया गया है तो क्रमशः विखंडित किया जाय, ताकि ज्ञानसेतु एवं ई विद्यावाहिणी कार्यक्रम संचालित रहे।
9. सभी प्रखंड एवं संकुल साधन सेवी अपने अधीनस्थ विद्यालयों का प्रत्येक दिन पर्यवेक्षण / भ्रमण करेंगे एवं विहित प्रपत्र में सूचनाएं अपराह्न 2:00 बजे तक प्रखंड संसाधन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर पर समेकित कर जिला परियोजना कार्यालय को jepsahibganj@gmail.com पर भेजेंगे।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, साहेबगंज

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

म०वि० पुलिस लाईन परिसर, साहेबगंज – 816109

दूरभाष संख्या – 06436-225824 फैक्स सं० - 06436-222775

10. आत्यंतिक स्थिति में/अपवाद स्वरूप, विद्यालय प्रबंध समिति , समतुल्य योग्यताधारी स्थानीय व्यक्तियों से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा प्राप्त कर सकती है जिन्हे इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र उनके द्वारा दिया जाएगा।

11. विभागीय पत्रांक JEPC/1253 दिनांक 25.06.2012 एवं गेस्ट टिचर का आवेदन पत्र तथा अग्रसारण पत्र का प्रारूप सहज अवलोकनार्थ संलग्न है। इस प्रपत्र में टेट उत्तीर्ण अनियोजित अभ्यर्थी अपना-अपना आवेदन विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संबंधित को निदेश दिया जाता है कि इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए।

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना साहेबगंज।

ज्ञापांक 1184 साहेबगंज, दिनांक 26/11/18

प्रतिलिपि –सभी अध्यक्ष/सचिव, विद्यालय प्रबंध समिति, सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, जिला-साहेबगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
–सभी संकुल/प्रखंड साधन सेवी जिला-साहेबगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
–सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक, जिला-साहेबगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष प्रखंड शिक्षा समिति, जिला-साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/11/18

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना साहेबगंज।

ज्ञापांक 1184 साहेबगंज, दिनांक 26/11/18

प्रतिलिपि –उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, झा०शि०परि०, साहेबगंज की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।
–राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

26/11/18

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना साहेबगंज।

(विद्यालय प्रबंधन समिति को अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक टेट उत्तीर्ण अनियोजित अभ्यर्थियों /65 वर्षों से कम आयु के सेवानिवृत शिक्षकों द्वारा आवेदन करने का प्रारूप)

सेवा में,

अध्यक्ष/ सचिव,
विद्यालय प्रबंध समिति

.... (विद्यालय का नाम)

.... (प्रखण्ड) ....(जिला)

विषय : .... (विद्यालय का नाम) में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आलोक में आपके अधीन विद्यालय में मैं अपना आवेदन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु विचारार्थ विहित प्रपत्र में समर्पित कर रहा/रही हूँ।

कृपया मेरे आवेदन पर विचार करते हुये अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु स्वीकृत करने की कृपा की जाय । आवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

आवेदक का नाम एवं पता

Scanned by CamScanner

आवेदन पत्र

फोटो

1. आवेदक का नाम :

2. पिता का नाम :

3. पति/पत्नी का नाम (अगर लागू हो) :

4. स्थायी पता :

5. वर्तमान पता :

6. जन्म तिथि :

7. आधार संख्या (छायाप्रति संलग्न करें) :

8. Bank A/c. ब्यौरा (बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या) :

9. मोबाईल नम्बर :

10. शैक्षणिक योग्यता –

क्रमांक	परीक्षा	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	मैट्रिक					
2	इंटरमिडिएट					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5						

11. प्रशैक्षणिक योग्यता –

	संस्थान का नाम, उत्तीर्णता वर्ष एवं एन.सी.टी.ई. की मान्यता का विवरण
D.El.Ed.	
B.Ed.	
M.Ed	
टेट (JAC)	

(सभी शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त वर्णित सभी सूचना मेरी जानकारी में सही है । भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर मैं पूरी तरह जिम्मेवार हूँगा। अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित अवधि में पूरे मनोयोग पूर्वक पठन–पाठन करूंगा।

आवेदन की तिथि

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner